

## राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-11/नर्स-2/( )/10/

दिनांक

निदेशक(ईएसआई) / मोबाइल सर्जिकल यूनिट / आरआरसी,  
 समस्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज,  
 समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह,  
 समस्त संयुक्त निदेशक जोन,  
 समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,  
 समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।

विषय:- राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित नर्स-2 के परिवीक्षा काल पूर्ण होने  
 के सम्बन्ध में सूचना भिजवाने बाबत ।

संदर्भ— निदेशालय के पत्र क्रमांक -800 दिनांक 20.4.10

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर लेख है कि जिन नर्स-द्वितीय(प्रोबेशनर ट्रेनी) का दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो गया है तथा जिनके अभी तक आपके द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सूचना/साफ्ट कोपी मय हार्ड कॉपी प्रमाणित कर नहीं भिजवाई गई है, के अभाव में अभी तक निदेशालय से स्थाईकरण के आदेश जारी नहीं हो सके हैं। अतः दिनांक 28.6.10 तक विशेष पत्र वाहक के साथ अधोहस्ताकरत्ता को भिजवाये यदि मूल आदेशों में संशोधन आदेश जारी हुए हैं तो उसकी एक प्रति भी संलग्न करे जिन कार्मिकों के दो वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं उनके प्रस्ताव दो वर्ष पूर्ण होने के पश्चात ही भिजवाये।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

४०-

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन),  
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
 राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-11/नर्स-2/( )/10/८२।

दिनांक 22/6/2010

प्रतिलिपि :- प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि इस पत्र को विभाग की वैबसाईट पर डाउन लोड करें।

Q/HM

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन),  
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
 राजस्थान, जयपुर